न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर ।
जी0आर0संख्याः–07/2014
दाउदनगर थाना कांड संख्या–01/2014

01.04.2023 अभियुक्त आशुतोष तिवारी अनुपस्थित है । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–17.11.2014 को संज्ञान लिया गया है, उसके उपरांत उक्त अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक–08.07.2015 को समन, दिनांक–05.12.2018 को जमानतीय अधिपत्र, दिनांक–07.09.2022 को अजमानतीय अधिपत्र एवं दिनांक–14.03.2023 को धारा 82 एवं 83 दं0प्र0सं0 निर्गत किया गया है । न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उक्त अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही हुआ और न ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें प्रस्तुत किया गया है, जिससे निकट भविष्य में उनकी उपस्थिति की कोई संभावना प्रतीत नही होता है। वाद काफी पुराना है, फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को धारा 299 दं0प्र0सं0 के तहत फरार घोषित किया जाता है ।

अतः कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अभियुक्त आशुतोष तिवारी के विरूद्ध स्थाई अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करें तत्पश्चात् अभियुक्त आशुतोष तिवारी का अभिलेख फरारी पंजी में दर्ज करते हुए, नियमानुसार उक्त अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।